



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डब्लू.वी.-अ.-17102023-249492
CG-WB-E-17102023-249492

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4382]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 17, 2023/आश्विन 25, 1945

No. 4382]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 17, 2023/ASVINA 25, 1945

वस्त्र मंत्रालय

(पटसन आयुक्त का कार्यालय)

अधिसूचना

कोलकाता, 5 अक्तूबर, 2023

का.आ. 4553(अ).— दिनांक 11.05.2022 के निर्णय के तहत 2022 के डबल्यूपीए 1126 में पारित माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय का सख्ती से अनुपालन करते हुए एवं जूट और जूट वस्त्र नियंत्रण आदेश, 2016 की उपधारा 3(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार और अधिसूचना संख्या जूट(मार्केटिंग)/139/2021/2021 दिनांक 05.10.2023 का अधिक्रमण करते हुए एवं उसका प्रयोग करते हुए मैं, मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त, एतद द्वारा 31 अक्तूबर, 2023 या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, सभी प्रकार के जूट का न्यूनतम मूल्य तय निम्नानुसार निर्धारित करता हूँ। मैं यह भी निदेश करता हूँ कि 31 अक्तूबर, 2023 तक कोई भी क्रेता या विक्रेता इन विनिर्दिष्ट दरों के अलावा क्रय या विक्रय करने का अधिकारी नहीं होगा। इससे संबंधित किसी भी प्रकार का व्यतिक्रम संबंधित पक्षों द्वारा उपर्युक्त नियंत्रण आदेश के अंतर्गत कानून के अनुसार कार्यवाही के लिए पटसन आयुक्त के कार्यालय के ध्यान में लाया जाएगा।

2023 -24 के लिए कच्चे पटसन हेतु न्यूनतम कीमत (₹ प्रति क्वींटल)

	एक्स -मोकाम	एक्स - कोलकाता
	टीडी -3	टीडी -3
	डबल्यू -3	डबल्यू -3
तोशा	5050	5500
श्वेत	5050	5500

टीडी-3 और डबल्यू-3 पूर्ववर्ती टीडी-5 और डबल्यू -5 के समतुल्य है।

खुली मात्रा में प्रस्तुत किए जाने वाले कच्चे पटसन की कीमत गांठ में बंधे हुए पटसन से ₹200/- कम होगी। अन्य ग्रेडों का ग्रेड अंतर पटसन आयुक्त के दिनांक 05.06.2023 के आदेश के तहत घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य के समान होगा। अन्य स्थानों (उत्तरी, अर्ध उत्तरी, बिहार और अन्य राज्यों) के लिए कीमतों में अंतर 04.10.2023 के बाजार अंतर कीमत के अनुसार होगा। विलम्बित भुगतान या किन्हीं अन्य कारणों से क्रेताओं द्वारा देय व्याज/जुर्माने आदि की रकम पूर्ण रूपेण क्रेता और आपूर्तिकर्ता के बीच का मामला है और उपर्युक्त न्यूनतम कीमतों के अलावा/अतिरिक्त रकम होगी।

[फा. सं. जूट(मार्केटिंग)/148/2023(1)]

मलय चंदन चक्रवर्ती, पटसन आयुक्त

MINISTRY OF TEXTILES

(Office of the Jute Commissioner)

NOTIFICATION

Kolkata, the 5th October, 2023

S.O. 4553(E).— In strict compliance with the solemn judgement of Hon'ble High Court of Calcutta passed in WPA 1126 of 2022 vide judgement dated 11-05-2022 and in accordance with the power conferred on me vide Clause 3 (1) of the Jute and Jute Textiles Control Order, 2016 and supersession of the Notification No Jute(Mktg)/139/2021 dated 05-10-2023 and in exercise of the same, I, Moley Chandan Chakraborty, Jute Commissioner, hereby fix the minimum price of jute in all forms to be in force until 31st October, 2023 or further orders whichever is earlier as mentioned below. I further direct that no buyer and no seller will be entitled to buy or sell other than these rates specified till 31st October, 2023. Any deviation from this will be brought to the notice of the Office of the Jute Commissioner by the respective parties for action as per statute under the above mentioned Control Order.

Minimum Price for Raw Jute for 2023-24 (In : INR per quintal)

	EX-MOKAM	EX-KOLKATA
	TD-3	TD-3
	W-3	W-3
Tossa	5050	5500
White	5050	5500

TD-3 and W-3 is equivalent to erstwhile TD-5 and W-5.

Raw jute offered in loose volume will be priced at Rs. 200/- less than baled jute. The grade differentials of other grades will be same as Minimum Support Price declared by the Jute Commissioner vide Order dated 05-06-2023. Differences of Prices for other locations (Northern, Semi-Northern, Bihar & other States) will be same as market differentials price being ruled as on 04-10-2023. The amount of interest/penalty etc payable if any by the purchasers on delayed payments or for any other reasons are matters solely between purchaser & supplier & will be outside /additional to the above minimum prices.

[F. No. Jute(Mktg)/148/2023(1)]

MOLOY CHANDAN CHAKRABORTTY, Jute Commissioner